प्रेस विज्ञप्ति
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 13.02.2026

- **सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्यवाही: थाना ओबरा पुलिस एवं सर्विलांस सेल/एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्याकांड का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **थाना ओबरा पुलिस व एसओजी टीम की तत्परता से ओबरा मर्डर केस का खुलासा, लूटी गई नगदी व उपकरण बरामद**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार** के निर्देशन में **क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री अमित कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण में थाना ओबरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2026 धारा 103(1), 238 बीएनएस से सम्बन्धित **अभियुक्त श्रवन सिंह उर्फ श्रवण गोंड पुत्र राम प्रसाद सिंह निवासी ग्राम झारा, थाना सनावल, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष**, को दिनांक 12/13.02.2026 की रात्रि मुखबिर खास की सूचना पर बग्घा नाला ओवरब्रिज के पास से घेराबंदी कर उक्त अभियुक्त को समय करीब 00:35 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल से लगभग 300 मीटर दूर पक्के नाले व झाड़ियों में छिपाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। उक्त बरादगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 315 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07/08.02.2026 की रात्रि में गिरधर सीमेंट्स लिमिटेड परिसर में कंपनी के संचालक के चाचा विष्णु हरि उपाध्याय की अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई थी। घटना के पश्चात कार्यालय का ताला खोलकर दराज में रखे ₹6500 नगद एवं मृतक का मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया था। साथ ही पहचान छुपाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त कर उसके उपकरण (मॉनिटर व प्रिंटर) हटाकर छिपा दिए गए थे। उक्त घटना के संबंध में थाना ओबरा पर मु0अ0सं0 31/26 धारा 103(1), 238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश प्रारंभ की गई। दिनांक 12/13.02.2026 की रात्रि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त श्रवन सिंह उर्फ श्रवण गोंड पुत्र: राम प्रसाद सिंह निवासी: ग्राम झारा, थाना सनावल, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ उम्र: लगभग 36 वर्ष बग्घा नाला ओवरब्रिज के पास भागने की फिराक में बैठा है। सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर उक्त अभियुक्त को समय करीब 00:35 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल से लगभग 300 मीटर दूर पक्के नाले व झाड़ियों में छिपाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में गिरधर सीमेंट्स लिमिटेड परिसर में 02 वर्षों तक मिस्त्री के पद पर कार्यरत था। नौकरी से निकाले जाने तथा मृतक द्वारा डांट-फटकार किए जाने से वह रंजिश रखता था। दिनांक 07/08.02.2026 की रात लगभग 11-12 बजे वह बाउंड्री कूदकर परिसर में घुसा। बरामदे में सो रहे विष्णु हरि उपाध्याय के सिर पर पत्थर से 3-4 बार वार कर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक के पास से चाबी का गुच्छा लेकर कार्यालय खोला तथा दराज से ₹6500 नगद एवं मृतक का मोबाइल फोन ले लिया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी तोड़ दिया तथा मॉनिटर एवं प्रिंटर को उठाकर पास के नाले में झाड़ियों के नीचे छिपा दिया कि उसकी पहचान न हो सके।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद नोकिया कीपैड मोबाइल (मृतक का)
2. ₹5000 नगद (₹500 के 10 नोट)
3. एक आधार कार्ड (अभियुक्त का)
4. एक सफेद धातु का कड़ा (सीसीटीवी फुटेज से मेल खाता हुआ)

निशानदेही पर बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद काला HP प्रिंटर (Serial No. CNBKM2B277)
2. एक अदद काला Lenovo मॉनिटर D19-10

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

श्रवन सिंह उर्फ श्रवण गोंड पुत्र राम प्रसाद सिंह निवासी ग्राम झारा, थाना सनावल, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक सदानंद राय थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
2. निरीक्षक अपराध शमशेर यादव थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 राजेश जी चौबे प्रभारी एस.ओ.जी./सर्विलांश जनपद सोनभद्र
4. उ0नि0 राम सिंह यादव थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 संतोष कुमार पटेल, हे0का0 सतीश कुमार सिंह एस.ओ.जी. सोनभद्र।
6. का0 रितेश सिंह, का0 अजीत कुमार, का0 सत्यम पाण्डेय, का0 चा0 अजीत कुमार यादव एस.ओ.जी. जनपद सोनभद्र।
7. का0 यशवंत सरोज, का0चा0 मनीष राय, का0 प्रवीण कुमार राय थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।